राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 3397/2023

देवेन्द्र कुमार शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग संभाग भरतपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक करौली।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हिंडौन सिटी करौली।
6. प्रिंसिपल महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, हिंडौन सिटी करौली।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.12.2023
आदेश की दिनांक : 08.01.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक कुमार कटारिया, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 28.02.2022 (अनुलग्नक—1) द्वारा एक लीगल नोटिस भेजा था जिसमें अपीलार्थी को 1 जुलाई 2021 से 31 दिसम्बर 2021 तक का समस्त बकाया वेतन वित्तीय वर्ष 2021—22 का सम्पूर्ण दिपावली बोनस 6774/— रूपये, 15 पी एल समर्पित अवकाश वित्तीय वर्ष 2021—2022 का भुगतान अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण से दिलवाया जाने का निवेदन किया था लेकिन लीगल नोटिस प्राप्त होने के बावजूद अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण ने आज तक बकाया वेतन, दिपावली बोनस, 15 पी एल समर्पित अवकाश का भुगतान नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.09.2017 (अनुलग्नक—2) द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय हिंडौन सिटी करौली में कार्यग्रहण किया गया है। अपीलार्थी द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर इस संबंध में एक शिकायत दिनांक 23.08.2021 व पत्र दिनांक 07.09.2021 द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर परिवाद प्रस्तुत किया गया उक्त परिवाद के निस्तारण के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक करौली द्वारा व उपखण्ड अधिकारी हिंडौन सिटी द्वारा पत्र दिनांक 05.10.2021 व 11.11.2021 जारी किया गया (अनुलग्नक—3)। अपीलार्थी को

पंचायत चुनाव 2021 में मतदान अधिकारी/सहायक मतदान अधिकारी के रूप में दिनांक 04.12.2021, 10.12.2021, 16.12.2021 एवं 19.12.2021 को नियुक्त किया गया (अनुलग्नक–4)। संयुक्त निदेशक भरतपुर संभाग द्वारा दिनांक 08.03.2023 (अनुलग्नक–5) द्वारा प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय हिंडौन सिटी करौली को एक पत्र जारी किया गया जिसमें अपीलार्थी के वार्षिक वेतन वृद्धि का उल्लेख किया गया है। संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग द्वारा मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति हिंडौन सिटी जिला करौली को दिनांक 02.03.2023 एवं 12.04.2022 (अनुलग्नक–6) के द्वारा एक पुर्व के पत्राक दिनांक 03.09.2022 एवं दिनांक 14.12.2022 का हवाला देकर एक स्मरण पत्र जारी किया तथा निर्देश दिया गया कि अपीलार्थी के बकाया वेतन इत्यादि का अविलम्ब भुगतान किया जावे। कार्यालय मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी हिंडौन करौली द्वारा अपीलार्थी को एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.09.2023 को जारी किया जिसका जवाब अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11.09.2023 को प्रस्तुत कर दिया गया (अनुलग्नक–7)।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कि जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को दिनांक 01 जुलाई 2021 से 31 दिसम्बर 2021 तक का समस्त बकाया वेतन मय ब्याज 24 प्रतिशत सहित भुगतान किया जावे तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 का सम्पूर्ण दिपावली बोनस 6774/– रूपये का भी अपीलार्थी को भुगतान दिलवाया जावे और अपीलार्थी को 15 पी एल समर्पित अवकाश वित्तीय वर्ष 2021–2022 का भुगतान दिलवाया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रस्तुत अपील में 1 जूलाई 2021 से 31 दिसम्बर 2021 तक का भुगतान बकाया वेतन मय ब्याज 24 प्रतिशत दिलाए जाने, वित्तीय वर्ष 2021–22 का दिवाली बोनस 6774 रूपये दिलाया जाने एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में 15 दिवस के पीएल का भुगतान दिलाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा यह बताया गया कि उसे 1 जूलाई 2021 से 31 दिसम्बर 2021 तक का बकाया वेतन का भुगतान प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता विधिक नोटिस भी प्रत्यर्थी विभाग को दिया जा चुका है। साथ ही सम्पर्क पॉर्टल पर भी उनके द्वारा परिवाद दर्ज कराया गया है परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से अपीलार्थी की तरफ से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलार्थी ने 1 जुलाई 2021 से 31 दिसम्बर 2021 की अवधि में उनके द्वारा कहां पर उपस्थिति प्रदान की गई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा बहस

के दौरान पहले यह बताया गया कि उनकी निर्वाचन कार्य में ड्यूटी थी फिर उनके द्वारा बताया गया कि उनकी कोरोना कार्य में ड्यूटी थी, परन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं किये गये है। जिसके अभाव में उक्त अवधि में उनकी उपस्थिति के संबंध में तथ्य प्रमाणित नहीं हो रहे है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा भी (अनुलग्नक–7) अपीलार्थी से उक्त अवधि का उपस्थिति प्रमाण पत्र मांगा गया, परन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपस्थिति प्रमाणीकरण के अभाव में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया जाने में विधिक त्रुटि नहीं है। जहां तक अपीलार्थी को वर्ष 2021–22 में 15 दिवस के पीएल संबंधित अवकाश के भुगतान किये जाने का विषय है। अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उसके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष नियत समयावधि में आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था। छह माह की अनुपस्थिति अवधि के दृष्टिगत बोनस भुगतान भी संभव नहीं है। अपीलार्थी ने उस वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य सरकार द्वारा बोनस के संबंध में जारी कोई आदेश भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे अपीलार्थी के बोनस भुगतान के विषय का परीक्षण किया जा सके।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी की अपील में कोई बल एवं सार नहीं होने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य